वित्तीय स्वीकृति

संख्या-1/2018/2611/52-3-17-बजट(21)/2017

प्रेषक,

डा0 पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

विषयः-अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा-10 पास छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु अनुदान मद की वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद-प्रतापगढ़, □□□□□□, अम्बेडकर □□□, □□तमबुद्ध नगर, □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ 44 □□□□□ □□ □□ भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3827/□0□0□0□0-52/□□□/बजट प्रा0वि0/ 2017-18 दिनांक 06.12.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक स□□□ □□ कक्षा-10 पास छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु अनुदान मद की वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद-प्रतापगढ़, □□□□□□, अम्बेडकर नगर, गौतमबुद्ध नगर, □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ 44 चेकों के भुगतान संबंधी प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार, न□□ दिल्ली के आदेश दिनांक 24.11.2017 के अनुपालन में 44 लाभार्थियों को भुगतान किये जाने हेतु लेखाशीर्षक 2270-अन्य प्रशासनिक सेवायें -001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान मद में उपलब्ध बचतों से अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो का कल्याण-80- सामान्य-800-अन्य व्यय-03- अल्पसंख्यकों का कल्याण-0309-अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा-10 पास छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु □□□□□-20- □□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) में पुर्नविनियोग द्वारा व्यवस्थित धनराशि रू0 13,20,000/-(रू0 तेरह लाख बीस हजार म) निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा-10 पास छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु अनुदान मद की वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद-प्रतापगढ़, □□□□□□, अम्बेडकर □□□, □□तमबुद्ध नगर, □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ 44 चेक कालातीत का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग/व्ययय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन □□ 31.03.2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एला□□टमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□□

(5) उक्त स्वीकृति समस्त लाभार्थियों के पते की पुष्टि एवं सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0309-अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा-10 □□□ छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु अनुदान-20- सहायता□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□□ □□□□□

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□□-1-1190/ □□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निर्गत दिशा निर्देशो एवं□□□0□□0 9 □0- □ □0□-136/□-11-1009/□□-17, दिनांक 20.12.2017के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न-प्रपत्र बी0एम0 9

भवदीया,

(□□0 पिंकी जोवल)
विशेष सचिव

संख्या-2611(1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- डिप्टी रजिस्ट्रार (ला□), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, □□□□ □□□□□□ □□□, ब्लाक '□□' □□0□□0 □ 0 काम्पलेक्स, □ □0□□0□0, नई दिल्ली, 110023

2- □□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

4- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

5- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

6- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□□ □□□□□- 3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

7- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।